

उत्तराखण्ड सरकार,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
पत्रांक 3862 /स्था0-11(मृ0आ0)/2001
देहरादून: दिनांक:मार्च 26, 2012

205

कार्यालय-ज्ञाप

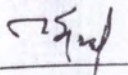
शासनादेश संख्या 225/कार्मिक-2/2002 दिनांक 08.02.2002 के अन्तर्गत मृतक आश्रित को नियुक्ति दिये जाने से सम्बन्धित गठित समिति की संस्तुति के आधार पर स्व0 श्री श्याम मोहन भटनागर, अपर सांख्यिकीय अधिकारी की आश्रित पत्नी श्रीमती प्रीति भटनागर को कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर वेतन बैंड-1 में ₹ 5200-20200, ग्रेड वेतन ₹ 1900 में कार्यभार ग्रहण के दिनांक से अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय, हरिद्वार में दो वर्ष की परीक्षा पर रखते हुये अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होंगे।

2- प्रतिबन्ध यह है कि उनकी सेवायें सन्तोषजनक न होने पर कभी भी समाप्त की जा सकती है, और ऐसी सेवा समाप्ति पर वे नोटिस की अवधि के लिये यथास्थिति ऐसी नोटिस एक माह से जितनी कम हो, के बराबर की धनराशि के दावेदार होने के हकदार होंगे, जिस पद पर वे अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पहले पा रहे थे।

3- कनिष्ठ सहायक के पद पर कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान अनिवार्य है, अतः नियुक्ति तिथि के छः माह के अन्तर्गत कम्प्यूटर टंकण में 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा के गति लाना अनिवार्य है।

3- श्रीमती प्रीति भटनागर को कार्यभार ग्रहण करने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

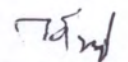
4- श्रीमती प्रीति भटनागर आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण नहीं करती हैं, तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त किये जा सकते हैं।

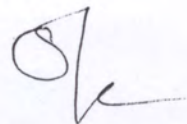

(वाई0एस0 पांगती)
निदेशक।

पत्रांक 3862 /स्था0-11(मृ0आ0)/2001 दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ कि श्रीमती प्रीति भटनागर के स्वास्थ्य का परीक्षण कर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 2 मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार।
- 3 अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरिद्वार।
- 4 श्रीमती प्रीति भटनागर पत्नी स्व0 श्री श्याम मोहन भटनागर, पूल्ड आवास कॉलोनी, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 5 व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


निदेशक,
अर्थ एवं संख्या।





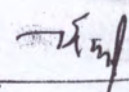
उत्तराखण्ड सरकार,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
पत्रांक १९५४ /स्था०-११(मृ०आ०)/२००१
देहरादून: दिनांक: नवम्बर १६, २०१३

303

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या २२५/कार्मिक-२/२००२ दिनांक ०८.०२.२००२ एवं शासनादेश संख्या ११६२/कार्मिक-२/२००२ दिनांक २३.०८.२००२ के क्रम में मृतक आश्रित को नियुक्ति दिये जाने से सम्बन्धित गठित समिति की संस्तुति के आधार पर स्व० श्री दयाकृष्ण जोशी की आश्रित पुत्री कु० निर्मला जोशी को कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर वेतन बैंड-१ में ₹ ५२००-२०२००, ग्रेड वेतन ₹ २०००/- में कार्यभार ग्रहण के दिनांक से बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून में दो वर्ष की परीक्षा पर रखते हुये अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होंगे।

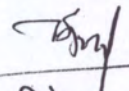
- २- प्रतिबन्ध यह है कि उनकी सेवायें सन्तोषजनक न होने पर कभी भी समाप्त की जा सकती है, और ऐसी सेवा समाप्ति पर वे नोटिस की अवधि के लिये यथास्थिति ऐसी नोटिस एक माह से जितनी कम हो, के बराबर की धनराशि के दावेदार होने के हकदार होंगे, जिस पद पर वे अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पहले पा रहे थे।
- ३- कनिष्ठ सहायक के पद पर कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान होना अनिवार्य है, अतः नियुक्ति तिथि के छः माह के अन्तर्गत कम्प्यूटर टंकण में ४००० की-डिप्रेशन प्रति घण्टा के गति लाना अनिवार्य है।
- ३- कु० निर्मला जोशी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- ४- कु० निर्मला जोशी आदेश प्राप्ति के १५ दिन के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण नहीं करती हैं, तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


(वाई०एस० पाण्डी)
निदेशक।

पत्रांक १९५४ /स्था०-११(मृ०आ०)/२००१ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- संयुक्त निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कु० निर्मला जोशी के स्वास्थ्य का परीक्षण कर, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- ३- उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या) कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी/गढ़वाल मण्डल-पौड़ी।
- ४- अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़।
- ५- कोषाधिकारी, साईवर ट्रेजरी, देहरादून।
- ६- कु० निर्मला जोशी पुत्री स्व० श्री दयाकृष्ण जोशी, अनुसेवक, एफ-२२ कमरा नं०-१६२ टकाना कालोनी, पिथौरागढ़।
- ७- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


निदेशक,
अर्थ एवं संख्या।

उत्तराखण्ड सरकार,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
संख्या: 581 / स्था0-11(मृ0आ0) / 2001
देहरादून: दिनांक: 09 अक्टूबर, 2015

पंजी.

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग के "उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-2002" शासनादेश संख्या 225/का0-2-2002 दिनांक 08.02.2002 एवं शासनादेश संख्या 1162/का0-2-2002 दिनांक 23.08.2002 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्व0 श्री कंचन कुमार तिवारी, कार्टोग्राफिक असिस्टेंट के आश्रित पुत्र श्री संचित तिवारी को मृतक आश्रित के रूप में कार्यालय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल) में एक वर्ष की परिवीक्षा पर रखते हुए कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान ₹ 5200-20200, ग्रेड वेतन ₹ 2000/-में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है, इन्हें उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

2 - उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, तथा किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

3- इस नियुक्ति के फलस्वरूप तैनाती केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि उक्त तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

4- कनिष्ठ सहायक के पद पर हिन्दी कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान होना अनिवार्य है। अतः नियुक्ति तिथि के छः माह के अन्तर्गत हिन्दी कम्प्यूटर टंकण में 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति लाना अनिवार्य है।

5- कार्यभार ग्रहण करते हुए निम्नलिखित प्रमाण पत्र तैनाती केन्द्र पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें:-

- (1) मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र(मूलरूप में)।
- (2) दो राजपत्रित अधिकारियों(जो सम्बन्धी न हो) से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र(मूलरूप में)।
- (3) अन्तिम शिक्षा संस्थान से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र(मूलरूप में)।
- (4) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट तथा अंक तालिका की मूल तथा प्रमाणित प्रति।/अन्य कोई प्रमाण पत्र हो तो उसकी मूल/प्रमाणित प्रति।

ह0/-
(वाई0एस0पांगती)
निदेशक।

संख्या: 581 / स्था0-11(मृ0आ0) / 2001 दिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या) कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी(नैनीताल)।
- 2- मुख्य चिकित्साधिकारी, हल्द्वानी को इस अनुरोध के साथ कि श्री संचित तिवारी के स्वास्थ्य का परीक्षण कर, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
- 4- उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
- 5- श्री संचित तिवारी पुत्र स्व0 श्री कंचन कुमार तिवारी, कार्टोग्राफिक असिस्टेंट निवासी-फार्म नं0-03, नीलांचल कालोनी फेस-02, डहरिया, तहसील-हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल।
- 6- व्यक्तिगत/स्थापना पत्रावली।

(सुशील कुमार)
अपर निदेशक
कृते निदेशक

01c

उत्तराखण्ड सरकार,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
संख्या: /स्था0-11(मृ0आ0)/2001
दिनांक: देहरादून: 27 मई, 2019
कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 225/कार्मिक-2/2002 दिनांक 08.02.2002 एवं शासनादेश संख्या 1162/कार्मिक-2/2002 दिनांक 23.08.2002 के क्रम में मृतक आश्रित को नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर स्व0 प्रदीप सिंह रावत की आश्रित पत्नी श्रीमती चित्रा रावत को कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर वेतन लेबल-3 ₹ 21700-69100 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़ में दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखते हुए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होंगे।

2- प्रतिबन्ध यह है कि उनकी सेवायें सन्तोषजनक न होने पर भी समाप्त की जा सकती हैं, और ऐसी सेवा समाप्ति पर वे नोटिस की अवधि के लिये यथास्थिति ऐसी नोटिस एक माह से जितनी कम हो, के बराबर की धनराशि के दावेदार होने के हकदार होंगे, जिस पद पर वे अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पहले पा रहे थे।

3- कनिष्ठ सहायक के पद पर कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान होना अनिवार्य है। अतः मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि के छः माह के अन्तर्गत कम्प्यूटर टंकण में 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा के गति लाना अनिवार्य है।

4- श्रीमती चित्रा रावत को कार्यभार ग्रहण करने हेतु यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

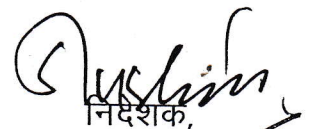
5- श्रीमती चित्रा रावत आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें यदि एक माह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण नहीं करती हैं तो उनका नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

ह0/-
(सुशील कुमार)
निदेशक

पत्रांक 340 /स्था0-11(मृ0आ0)/2001 दिनांकित:

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन, अधिष्ठान, देहरादून।
- 2- उप निदेशक(स्था0) निदेशालय।
- 3- उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि श्रीमती चित्रा रावत के स्वास्थ्य का परीक्षण कर, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 6- अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़।
- 7- वेब इन्फॉर्मेशन अधिकारी, निदेशालय।
- 8- श्रीमती चित्रा रावत पत्नी स्व0 प्रदीप सिंह रावत, ग्राम व पोस्ट-तेजम, तहसील-मुनस्यारी, जिला-पिथौरागढ़।
- 9- स्थापना व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


निदेशक,
अर्थ एवं संख्या
w